2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जनवरी 2019

क्रमांक एफ-10-04/2019/वाक/पांच(06). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-04/2019/वाक/पांच(06), दिनांक 29-01-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 29th January 2019

NOTIFICATION
No. 06/2019 – State Tax

No. F-10-04/2019/CT/V(06). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 65/2017-State Tax notification No. F-10-93/2017/CT/V(171), dated the 15th November, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 489, dated the 15th November, 2017, namely: -

In the said notification, in the proviso, for the words, brackets, letters and figures "sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, other than the State of Jammu and Kashmir", words, brackets and figures "the first proviso to sub-section (1) of section 22 of the said Act, read with clause (iii) of the Explanation to the said section" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of February, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जनवरी 2019

अधिसूचना
संख्या 01/2019- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-04/2019/वाक/पांच(07). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 8/2017-राज्य कर(दर), क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(76), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को विखंडित करती है ।